

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर- 76/2024
श्रीमती मनोहरी कुलहरी बनाम तहसीलदार
आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128

नम्बर व तारीख
आदिकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

7.24 — पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदिका के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 26, 27 वाके ग्राम देरवाला तहत तहसील झुन्झुनू में स्थित है। आवेदिका ने निवेदन किया है कि तहसीलदार झुन्झुनू के आदेश दिनांक 43/2023 की पालना में पटवारी पटवार हल्का द्वारा गौके पर पहुंचकर दिनांक 26.04.2024 को उपस्थित खातेदार व मोतविरान के समक्ष खसरा नम्बर 26 व 27 की नपती की जाकर सीमाज्ञान करवाया गया जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। अतः मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया, चूंकि सीमाज्ञान भी अप्रार्थी द्वारा जारी आदेशों की पालना में ही हुआ है। पत्रावली में एक पक्षीय बहस वकील सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रवेजातों, फर्द सीमाज्ञान एवं बहस वकील पक्षकारान पर वगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों एवं फर्द सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम देरवाला स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 26 व 27 की पत्थरगढी मुताबिक फर्द सीमाज्ञान दिनांक 26.04.2024 करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। प्रार्थना पत्र फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 5.7.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)